न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (अलवर)

पीठासीन अधिकारी–मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1246/2015	01/01/2015	03/03/2022

उनवान

1. गुरदयाल सिंह पुत्र श्री सुखदेव जाति चमार निवासी ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना जिला अलवर

.....प्रार्थी

बनाम

1. लालाराम पुत्र मनोहरलाल उर्फ मन्नालाल– अविवाहित फौत
2. महावीर पुत्र मनोहरलाल उर्फ मन्नालाल
3. ओम प्रकाश पुत्र मनोहरलाल उर्फ मन्नालाल– अविवाहित फौत
4. धर्मचन्द्र पुत्र गोपीराम पुत्र मनोहरलाल उर्फ मन्नालाल– डिलीट
5. राजेश पुत्र गोपीराम पुत्र मनोहरलाल उर्फ मन्नालाल
6. अशोक पुत्र गोपीराम पुत्र मनोहरलाल उर्फ मन्नालाल– मृतक
   6/1 अनिता देवी पत्नि अशोक कुमार
   6/2 साक्षी उर्फ रितिका पुत्री अशोक कुमार– ना0बा0
   6/3 पायल पुत्री अशोक कुमार
   6/4 लक्ष्य पुत्र अशोक कुमार– ना0बा0
   जरिये सरपरस्त माता अनिता देवी पत्नि अशोक कुमार
7. सज्जन पुत्र श्री गोपीराम पुत्र मनोहरलाल उर्फ मन्नालाल– मृतक
   7/1 रामभुतेरी उर्फ रामा पत्नि सज्जन जाति अहिरान निवासी ग्राम सिरयानी
8. गूगन राम पुत्र श्री छाजूराम
9. छोटेलाल पुत्र श्री छाजूराम जातियान चमार निवासी सिरयानी

.....असल अप्रार्थी गण

10. उप पंजीयक महोदय नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब नीमराना

.....तर0 अप्रार्थीगण

(दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति–1. श्री संजय सिंह यादव ऐड0 प्रार्थी की ओर से
2. श्री मकर ध्वज ऐड0 अप्रार्थी की ओर से

–निर्णय–

दिनांक–03/03/2022

पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं–

वादी/प्रार्थी ने दावा धारा 88,89,188 पेश कर उसके साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट पेश कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नं0 212/0.36,

213/0.21,215/0.60 वाके ग्राम सिरयानी प्रार्थीगण को राज्य सरकार से आवंटित हुई थी जमा बंदी संबत 2033 में गैर खातेदार दर्ज हैं।

साबिक खसरा नं. 144 मिन में से 2 बीघा जमीन अप्रार्थी संख्या 1 लगा07 के बुजुर्ग मन्नालाल को आवंटित की गई थी जिसका हाल खसरा नं0 215/0.60 बंदोबस्त विभाग द्वारा संवत 2042 में कायम किया गया है। इसी कदर साबिक खसरा नं0 144 मिन में से 10 बिस्वा अप्रार्थीगण संख्या 8,9 के बुजुर्ग छाजू को आवंटित की गई थी जिसका खसरा नं0 981/144 रकबा 10 बिस्वा कायम किया गया तथा उक्त हाल खसरा नं0 213/0.21 संबत् 2042 में बंदोबस्त विभाग द्वारा कायम किया गया है। बंदोबस्त विभाग द्वारा विवादित आराजी का रकबा मिट्रीक प्रणाली में अंकित करते हुए खिलाफ मौका व खिलाफ कानून से मिन प्रार्थी की आराजी हाल खसरा नं0 212 का रकबा 0.36 एयर दर्ज कर दिया जबकि नियमानुसार गत रकबा 2 बीघा के मुताबिक हाल रकबा 0.50 एयर दर्ज करना चाहिए था इस प्रकार मिन प्रार्थी के हाल खसरा नं0 212 का 0.14 रकबा कम करते हुए उक्त रकबा गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 7 के पिता गोपीराम व प्रतिवादी 1 लगा0 3 की खातेदारी की आराजी हाल खसरा नं0 215 में 10 एयर अधिक दर्ज कर दिया इसी प्रकार बंदोबस्त विभाग ने गलत रूप से मिन प्रार्थी की आराजी का 0.04 एयर रकबा अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 की खातेदारी की आराजी हाल खसरा नं0 213 में बढा दिया क्योंकि अप्रार्थीगण संख्या 8,9 के पूर्वज छाजू को केवल 10 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी जिसका मिट्रिक प्रणाली में रकबा 13 एयर होना चाहिए जबकि 0.21 एयर दर्ज कर दिया जोकि 0.08 एयर अधिक दर्ज है।

उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थी को आराजी से जबरन बेदखल करने पर उतारू हैं तथा आराजी को दीगर जगह रहन बय व मुन्तकिल करने पर उतारू हो रहें हैं इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि विवादित हाल आ0ख0न0 212,213 व 215 वाके ग्राम सिरयानी के रिकोर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाए रखे किसी अन्य मुन्तकिल न कर ना ही कोई बयनामा पंजीबद्ध करावें ना ही प्रार्थी को जबरन बेदखल करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 19/11/2013 तक इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई कि हाज आराजी खसरा न0 212,213,215 वाके ग्राम सिरयानी के रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा जो भी आपत्ति हो नियत तिथि पर उपस्थित होकर पेश करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया बाद तामील अप्रार्थी नं0 8 व 9 ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र. कतई गलत है जिसमें झूठे व मनमाने तथ्य दर्ज कराऐं हैं भू-प्रवंध विभाग द्वारा साबिक रिकोर्ड अनुसार ही इन्द्राज किया गया है। प्रार्थीगण/ प्रतिवादी किसी भी प्रकार की दुरूस्ती कराने के अधिकारी नहीं हैं। हम प्रतिवादी संख्या 8,9 का खसरा नं0 213 में खसरा नं0 198 का ही 07 एयर रकबा मिला हुआ था जिसे दुरूस्त किया जाने की डिक्री न्यायालय श्रीमान द्वारा 22/05/2017 को पारित की जा चुकी है। खसरा नं0 213 से प्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अभिभाषक गण की बहस सुनी गई नकल जमा बंदी संवत 2069 से 2072 के अनुसार आराजी विवादित प्रथक-प्रथक पक्षकाराना की खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है किसी भी खातेदार को टीआई से पाबंद किया जाना विधिसंगत नहीं है। हक

उपखण्ड अधिकारी
गोवर्धन (अनार) एम

हकुकों का निर्णय मूलवाद में रिकोर्ड एवं साक्ष्य के आधार पर किया जावेगा वर्तमान स्टेज पर केवल सुविधा संतुलन ही देखा जाना है। प्रस्तुत जमा बंदीयात के अनुसार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः आदेश हैं कि–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतरर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत आराजी खसरा नं. 212,213,215 वाके ग्राम सिरयानी तहसील नीमराना साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी टी.आई. आदेश दिनांक 16/09/2013 अपास्त किया जाता है । प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 03/03/2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना